

आत्मनरिभर भारत रोज़गार योजना

आत्मनरिभर भारत रोज़गार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana- ABRY) के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।

प्रमुख बटु

- **आत्मनरिभर भारत रोज़गार योजना के बारे में:**
 - इसे नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने और **आत्मनरिभर भारत पैकेज 3.0** के तहत **कोविड -19** रकिवरी चरण के दौरान नए रोज़गार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- **सरकारी योगदान:**
 - यह **कर्मचारी भवषिय नधि संगठन** (Employees' Provident Fund Organization - EPFO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिये **भवषिय नधि** योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है।
 - 1000 कर्मचारियों तक के संगठनों को दो वर्ष के लिये कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12%), वेतन का कुल 24% प्राप्त होगा।
 - 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं/नियोजक (Employers) को दो वर्ष के लिये कर्मचारियों के योगदान का 12% प्राप्त होगा।
 - योजना के तहत सब्सिडी राशिकेवल नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े EPFO खातों (UAN) में जमा की जाएगी।
- **प्रतिष्ठानों की पात्रता हेतु मानदंड:**
 - EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान लाभ के पात्र होंगे अगर वे सितंबर 2020 के कर्मचारियों के रेफरेंस बेस (Reference Base) की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं।
 - 50 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
 - 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम पाँच कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
- **लक्षित लाभार्थी:**
 - EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोज़गार में शामिल होने वाला 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर कोई भी नया कर्मचारी।
 - जिनहोंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 अक्टूबर को या उसके बाद कार्यरत हैं।
- **समय सीमा:**
 - यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी।

अन्य रोज़गार संबंधी पहल

- [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनन योजना](#)
- [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना](#)
- [पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशलया योजना \(DDU-GKY\)](#)
- [दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)
- [आत्म नरिभर भारत पैकेज 3.0](#) के हिस्से के रूप में आत्म नरिभर भारत रोज़गार योजना
- [आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना \(ईसीएलजीएस\)](#)